



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241493
CG-DL-E-29122022-241493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5840]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2022/पौष 7, 1944

No. 5840]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6083(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 3834 (अ) तारीख 16 अगस्त, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 160 के 57.500 कि.मी. से 98.250 कि.मी. (शिर्डी - सिन्नर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, बायपास सहित, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 27 अगस्त, 2022 को "दैनिक सकाळ (मराठी) " और "दैनिक लोकमत टाइम्स (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 160 के 57.500 कि.मी. से 98.250 कि.मी. (शिर्डी-सिन्नर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नासिक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिन्नर				
	गांव का नाम: खोपडी बुद्रुक				
1	285 Pt.	निजी	शुष्क	0.04	कोंडाजी विश्वनाथ गुरुळे, सुर्यभान दशरथ गुरुळे, सहादु दशरथ गुरुळे, अरुण दशरथ गुरुळे, पंढरीनाथ दशरथ गुरुळे, इतर हक्कात :- इकरार सोसायटी ()
2	286 Pt.	निजी	शुष्क	0.045	राहुल चंद्रभान गुरुळे, मोहन चंद्रभान गुरुळे, मदन चंद्रभान गुरुळे, संगिता तान्हाजी माळोदे, मिराबाई चंद्रभान गुरुळे, ()
	गांव का नाम: गुरेवाडी				
3	6 Pt.	निजी	शुष्क	0.01	प्रविण विश्वनाथ सोनवणे, कविता गणपत वारुंगसे, योगिता किरण सोनवणे, आर्यन किरण सोनवणे, कारभारी रावजी सोनवणे, मधुकर रावजी सोनवणे, तुकाराम रावजी सोनवणे, बजुनाथ रावजी सोनवणे, कैलास शंकर सोनवणे, विलास शंकर सोनवणे, विठाबाई शंकर सोनवणे, शोभा सुनिल एखंडे, ज्योती शंकर सोनवणे, राजाराम हरीभाऊ सोनवणे, अरुण हरीभाऊ सोनवणे, जिजाबाई सुर्यभान वारुंगसे, इतर हक्कात- कुंदेवाडी वि.का.से.सोसायटी, ()
	गांव का नाम: केदारपूर				
4	20 Pt.	निजी	शुष्क	0.34	गोरखनाथ नरहरी केदार, मनोहर नरहरी केदार, कैलास नरहरी केदार, शरद नरहरी केदार, इतर हक्कात- दातली वि.का.से.सोसायटी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा सिन्नर, ()
5	21 Pt.	सरकारी	शुष्क	0.16	सरकार ()
	गांव का नाम: मुसलगांव				
6	905/1 Plot No.61	निजी	अकृषिक	0.03	विनायक एकनाथ लहाने, ()
	गांव का नाम: पांगरी बुद्रुक				
7	CTS No.670	निजी	शुष्क	0.00307	शरद रामभाऊ पगार, ()
			कुल	0.62807	

[फा. सं. NHA/BOT-I/11019/1/2010/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2022

S.O. 6083(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O.3834 (E) dated 16th August, 2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning including bypass, etc.), maintenance, management and operation of **National Highway No.160**, on the stretch of land from **Km. 57.500 to Km. 98.250 (Shirdi - Sinnar Section)** in the district of **Nashik** in the state of **MAHARASHTRA**.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Sakal (Marathi)**” and “**Dainik Lokmat times (English)**” both dated **27th August, 2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 57.500 to Km. 98.250 (Shirdi - Sinnar Section) on the National Highway No.160 in the district of Nashik in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: NASHIK		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sinnar				
	Village: Khopdi Budruk				
1	285 Pt.	Private	Dry	0.04	Kondaji Vishwanath Gurule, Suryabhan Dashrath Gurule, Sahadu Dashrath Gurule, Arun Dashrath Gurule, Pandharinath Dashrath Gurule, Other Right- V.K.S. Soceity,
2	286 Pt.	Private	Dry	0.045	Rahul Chandrabhan Gurule, Mohan Chandrabhan Gurule, Madan Chandrabhan Gurule, Sangita Tanhaji Malode, Mirabai Chandrabhan Gurule,
	Village: Gurewadi				
3	6 Pt.	Private	Dry	0.01	Pravin Vishwanath Sonawane, Kavita Ganpat Varungse, Yogita Kiran Sonawane, Aryan Kiran Sonawane,

					Karbhari Ravaji Sonawane, Madhukar Ravaji Sonawane, Tukaram Ravaji Sonawane, Bajunath Ravaji Sonawane, Kailas Shankar Sonawane, Vilas Shankar Sonawane, Vithabai Shankar Sonawane, Shobha Sunil Yekhande, Jyoti Shankar Sonawane, Rajaram Haribhau Sonawane, Eknath Haribhau Sonawane, Arun Haribhau Sonawane, Jijabai Suryabhan Varungse, Other Right- Kundewadi V.K.S. Soc.,
	Village: Kedarpur				
4	20 Pt.	Private	Dry	0.34	Gorakhnath Narhari Kedar, Manohar Narhari Kedar, Kailas Narhari Kedar, Sharad Narhari Kedar, Other Right-Datali V.K.S. Soc., Bank of Maharashtra Br. Sinnar,
5	21 Pt.	Government	Dry	0.16	Government
	Village: Musalgaon				
6	905/1 Plot No.61	Private	Non Agriculture	0.03	Vinayak Eknath Lahane,
	Village: Pangri Budruk				
7	CTS No.670	Private	Dry	0.00307	Sharad Rambhau Pagar,
			TOTAL	0.62807	

[F. No. NHAI/BOT-I/11019/1/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Director